निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1937 (शo)

(सं0 पटना 609) पटना, सोमवार, 1 जून 2015

सं0 SPUR-PMU/186/SBM2015-2614 / न0वि0एवंआ0वि0

नगर विकास एवं आवास विभाग

———————

संकल्प

29 मई 2015

विषयः–केन्द्र प्रायोजित ''स्वच्छ भारत मिशन ''(नगरीय)'' योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति।

राष्ट्रपिता महात्मा गॉधी की 150 वीं जन्म दिन 2 अक्टूबर 2019 तक देश में सम्पूर्ण स्वच्छता के संकल्प के साथ भारत सरकार द्वारा ''स्वच्छ भारत मिशन'' कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। केन्द्र प्रायोजित ''स्वच्छ भारत मिशन ''(नगरीय)'' योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर संभावित व्यय के निकासी की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है।

2. यह कार्यक्रम राज्य के सभी नगर निकायों में वर्ष 2019 तक लागू किया जाना है। इसके तहत निम्नांकित कार्य किया जाना है।

(क) व्यक्तिगत घरेलू शौचालय तथा शुष्क शौचालय को फ्लश लैट्रीन में परिवर्तित करनाः–

स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत यह सुनिश्चित करना है कि (1) कोई भी परिवार खुले में शौंच न करें (2) मिशन कार्यकाल में कोई अस्वच्छ शौचालय (बहाव शौचालय) का निर्माण न हो (3) सभी एक गडढ़े वाले शौचालय तथा शुष्क शौचालय स्वच्छ शौचालय में परिवर्तित हो।

2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 139 शहरों में कुल 9,41,072 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में शौंचालय नहीं हैं जिसके कारण वे खुले में शौंच के लिए मजबूर हैं। इनमें से अनुमानतः 7,52,863 ऐसे परिवार हैं जिनके घरों में शौचालय बनाने हेतु स्थान उपलब्ध है। अतः इन परिवारों को शौचालय बनाने हेतु केन्द्र की अनुदान राशि रू0 4,000 / –प्रति शौचालय तथा राज्य से अनुदान स्वरूप 1333 / – रूपया प्रति शौचालय उपलब्ध कराना प्रस्तावित है। शेष राशि लाभार्थी स्वयं वहन करेंगे। ऐसे व्यक्तिगत शौचालय जिनका सीवेज, सीवर लाइन में प्रवाहित किया जा सकता है उन शौचालयों के लाभार्थियों को केन्द्र सरकार का 4000 रू0 ही अनुदान देना प्रस्तावित है उन्हें राज्य सरकार का अनुदान देने का प्रस्ताव नहीं है।

इसके अतिरिक्त 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के 139 शहरों में 88,363 शुष्क शौचालय हैं, जिनमें से कम से कम 60% (लगभग 53,018) शुष्क शौचालयों का फ्लश लैट्रीन में परिवर्तित करना प्रस्तावित है। इसके लिए भी (4000 रू0 प्रति शौचालय) केन्द्र से अनुदान के रूप में प्राप्त हो सकेगी जबकि राज्य द्वारा अनुदान 1333 रू0 प्रति शौचालय देना प्रस्तावित है। शेष राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाएगी।

(ख) सामुदायिक शौचालयों का निर्माणः—अनुमानतः ऐसे परिवार जिनके घर में शौचालय नहीं है के 20% परिवार ऐसे हैं जिनके पास व्यक्तिगत शौचालय बनाने हेतु जगह भी उपलब्ध नहीं है। इन परिवारों को सामुदायिक शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है। अतः राज्य के सभी 139 शहरों में 1,88,209 व्यक्तियों के उपयोग हेतु 6881 सामुदायिक शौचालय बनाना प्रस्तावित है। प्रत्येक सामुदायिक शौचालय में 2 सीट महिलाओं के लिए एवं 3 सीट पुरूषों के लिए तथा 3 सीट बच्चों के लिए होंगी।

सामुदायिक शौचालय के निर्माण की अनुमानित लागत प्रति शौचालय 5 लाख 30 हजार रूपये निर्धारित है, जिसका 40% हिस्सा केन्द्र सरकार से रू0 2.12 लाख अनुदान के रूप में प्राप्त होगा, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनुपातिक 70,667 रू0 प्रति शौचायल उपलब्ध कराया जायेगा, जबकि शेष राशि लाभुक स्वयं वहन करेंगे।

(ग) सार्वजनिक शौचालयों का निर्माणः—स्वच्छ भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण अवयव सार्वजनिक शौचालय है। अनुमानतः प्रत्येक शहर की जनसंख्या का 5% व्यक्ति अन्य स्थानों से शहर में आते हैं और दैनिक गतिविधि के पश्चात वापस चले जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों की सुविधा हेतु प्रत्येक शहर में प्रत्येक 600 व्यक्तियों के लिए एक सार्वजनिक शौचालय बनाना प्रस्तावित है। प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय में 5 सीट पुरूषों के लिए तथा 2 सीट महिलाओं के लिए होंगी। इसके अतिरिक्त पुरूषों एवं महिलाओं के लिए अलग–अलग मूत्रालय उपलब्ध होंगे।

सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु केन्द्र सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जा रहा है न ही राज्य सरकार से कोई राशि व्यय करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार और नगर निकायों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु उचित स्थान का चयन करें और इस भूमि को निजी संस्था को लोक निजी भागीदारी (पी0पी0पी0) एकरारनामा पर निर्माण एवं संचालन करने एवं विज्ञापन हेतु उपलब्ध करायें। सार्वजनिक शौचालय के निर्माण एवं संचालन हेतु किसी अन्य स्त्रोत से राशि प्राप्त की जा सकती है।

प्रत्येक सार्वजनिक शौचालय परिसर की अनुमानित लागत 14 लाख रू0 होगी जो पूर्ण रूप से निजी सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर निजी संस्था द्वारा वहन की जाएगी। इसके बदले नगर निकाय द्वारा निजी संस्था को सार्वजनिक शौचालय की तीन दीवारों पर विज्ञापन का अधिकार दिया जाएगा और प्रत्येक उपयोगकर्त्ता (यूजर) से उपयोग राशि (यूजर चार्ज) प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। नगर निकाय द्वारा निजी संस्था को सार्वजनिक शौचालय के निर्माण हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) ठोस कचरा प्रबन्धनः— ठोस कचरा प्रबन्धन न केवल स्वच्छ भारत मिशन का महत्वपूर्ण अवयव है बल्कि सभी नगर निकायों के लिए यह प्रथम वरीयता का विषय है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सभी नगर निकायों में समेकित ठोस कचरा प्रबन्धन की अनुमानित लागत 1500 रू0 प्रति व्यक्ति के आधार पर कुल 3475.13 करोड़ रूपये मानी गई है जिसका 20% अंश केन्द्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। शेष राशि सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर निजी संस्थाओं द्वारा वहन की जाएगी। निजी संस्थाओं को उपयोगिता शुल्क प्राप्त करने का अधिकार दिया जाएगा। उपयोगिता शुल्क से प्राप्त राशि एवं निजी संस्था द्वारा व्यय राशि की अन्तर राशि (Gap Fund) राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सभी नगर निकायों को राज्य सरकार से समन्वय कर ठोस कचरा प्रबन्धन की डी0पी0आर0 बनवानी है। छोटे शहर सामूहिक रूप से ठोस कचरा प्रबन्धन के कार्य हेतु एक समूह (क्लस्टर) बना कर निजी निवेश को आकर्षित कर सकते है। शहरों के लिए समेकित ठोस कचरा प्रबन्धन की डी0पी0आर0 केन्द्र सरकार की सूचीबद्ध संस्थाओं के माध्यम से बनवाई जा सकती है।

डी0पी0आर0 बनाने हेतु संस्थाओं को देय पूर्ण राशि केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी। वर्त्तमान में 35 शहरों की डी0पी0आर0 नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा बनवाई जा चुकी है। शेष 104 शहरों की डी0पी0आर0 तैयार करने हेतु भारत सरकार की सूचीबद्ध एजेंसियों को कार्य आवंटित किया जा सकता है।

(ङ) सूचना, शिक्षा एवं जन जागरूकताः— इस अवयव के अधीन स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की कुल स्वीकृत अनुदान राशि की 12% राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे राज्य में स्वच्छता हेतु व्यापक प्रचार प्रसार का कार्य सम्पादित किया जाएगा।

(च) क्षमता वृद्धि तथा प्रशासनिक एवं कार्यालय व्ययः— इस उप शीर्ष के अधीन स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की कुल स्वीकृत अनुदान राशि की 3% राशि राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाएगी जिससे राज्य स्तरीय PMU के गठन के फलस्वरूप PMU के स्थापना व्यय का वहन किया जाएगा। राज्य स्तरीय PMU के कार्य हेतु निजी संस्था का चयन किया जा सकता है।

3. **योजना के क्रियान्वयन के लिए चतुर्स्तरीय संस्थागत ढांचा तैयार किया जायेगा** :–

(क) राष्ट्रीय स्तर पर - राष्ट्रीय परामर्शदातृ एवं समीक्षात्मक समिति (National Advisory and Review Committee- NARC) जिसके अध्यक्ष नगर विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव होंगे।

(ख) राज्य स्तर पर - राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक HPC (High Powered Committee) गठित होगी जिसमें अन्य संबंधित विभागों के सदस्य होंगे (जिसमें केन्द्रीय शहरी मंत्रालय

के प्रतिनिधि भी शामिल रहेंगे) जो राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन–SBM के प्रबंधन के लिए जवाबदेह होगी। SLMRC के निम्न कार्य होंगेः–

(i) संबंधित राज्य के लिए स्वच्छ भारत मिशन–SBM (नगर) के आच्छादन के लिए राज्य स्वच्छता कार्यनीति (State Sanitation Strategy- SSS) और सभी नगरों के लिए नगर स्वच्छता कार्यनीति तैयार करना, स्वीकृति देना एवं ऑन लाइन प्रकाशित करना, यदि ये कार्य पहले से नहीं किये गये हों।

(ii) शहरों के स्वच्छता की स्थिति पर परिकल्पना टिप्पणी को अन्तिम रूप देकर स्वच्छ भारत मिशन–SBM के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को भेजना।

(iii) दक्ष एवं अनुभवी परामर्शियों का निम्न कार्यों हेतु पैनल तैयार करनाः

(a) स्वच्छ भारत मिशन–SBM के अन्तर्गत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करना।

(b) परियोजनाओं के कार्यान्वयन काल में स्वतंत्र समीक्षा एवं मूल्यांकन करना।

(iv) IIT, NIT या राज्य स्तर के तकनीकी विश्वविद्यालय आदि को इस परियोजना के DPR का मूल्यांकन करने हेतु पैनल तैयार करना।

(v) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति देना जो स्थानीय नगर निकायों द्वारा अनुशंसित हों।

(vi) अतिरिक्त स्रोत से धनराशि जुटाने के लिए योजना बनाना।

(vii) अल्पकालीन, मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन परियोजनाओं के लिए राशि के प्रवाह की योजना बनाना।

(viii) इन परियोजनाओं के किस्तवार निधि की विमुक्ति के प्रस्ताव को अनुमोदित करना।

(ix) इस मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत और पूरी की गयी परियोजनाओं के परिणाम तथा संचालन और अनुरक्षण की व्यवस्था का अनुश्रवण करना।

(x) मिशन के अन्तर्गत क्षमतावर्धन, IEC और जन जागरूकता गतिविधियों की समीक्षा करना और उनके वार्षिक कार्य योजना को स्वीकृत करना।

(xi) मापदंडों एवं शर्त्तों के भंग होने की स्थिति पर ध्यान देना।

(xii) राज्य के स्वच्छता अभियान के लिए समेकित कार्रवाई करना और अन्तर्विभागीय सहयोग को सुनिश्चित करना और जैसी जरूरत हो इस उद्देश्य के लिए कार्य करना।

(xiii) विमुक्त निधि का समय पर अंकेक्षण सुनिश्चित कराना और मिशन के विभिन्न अंकेक्षण प्रतिवेदन और अन्य सदृश्य प्रतिवेदनों पर 'कार्रवाई प्रतिवेदन' की समीक्षा करना।

(xiv) यदि कोई कानूनी अड़चन या प्रश्न हो तो उसकी समीक्षा करना।

(xv) किसी अन्य विषय पर विचार करना जो मिशन के कुशल कियान्वयन के लिए उपयुक्त हों या ऐसी विषयें जो इसके सामने स्वच्छ भारत मिशन–SBM के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा भेजा गया हो।

(ग) जिला स्तर पर समीक्षा एवं अनुश्रवण समिति (DLRMC) - लोक सभा सदस्य की अध्यक्षता में गठित होगी जिससे इस मिशन के उद्देश्यों को पूरा करने और परियोजनाओं के संतोषजनक अनुश्रवण को सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य से विस्तृत मार्गनिर्देशिका स्वच्छ भारत मिशन–SBM के राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा निर्गत होगी।

(घ) स्थानीय नगर निकाय स्तर पर - स्वच्छ भारत मिशन–SBM की परिकल्पना स्वास्थ्य, कचड़ा प्रबंधन एवं सफाई संबंधी मुद्दों को देश के सभी भागों में जन आन्दोलन बनाने की है। इसलिए जरूरी है कि इसके कार्यान्वयन में स्थानीय नगर निकायों, वार्ड समितियों, क्षेत्र–सभाओं, निवासियों की कल्याण साहचर्यों, गैर सरकारी संस्थाओं और सिविल सोसाइटी की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करें।

4. स्वच्छ भारत मिशन योजना के मार्गदर्शिका के अनुसार योजना के प्रबंधन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय उच्च शक्ति सम्पन्न कमिटि (HPC) होगी, जो योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी कार्य निष्पादित करेगी।

5. मार्गदर्शिका के अनुसार इस योजना के संचालन एवं प्रशासनिक नियंत्रण हेतु एक राज्य मिशन निदेशालय कार्य करेगी, जो नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्राणाधीन होगी।

6. स्वच्छ भारत मिशन योजना के लिए निर्गत मार्गदर्शिका में भारत सरकार द्वारा किये गये समय–समय पर संशोधन एवं दिये गये निदेश के अनुपालन हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार स्वयं सक्षम होगा।

7. मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 19.05.15 के मद सं0–13 के रूप में प्रस्ताव पर सरकार की स्वीकृति प्राप्त है।

8. अतः केन्द्र प्रायोजित ''स्वच्छ भारत मिशन ''(नगरीय)'' योजना को राज्य के सभी नगर निकायों में लागू करने एवं उस पर प्रस्तावित व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति संसूचित की जाती है।

आदेश– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी विभागों/विभागाध्यक्षों/प्रमंडलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/नगर निकायों/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अमृत लाल मीणा,
सरकार के प्रधान सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 609-571+200-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in